



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.01.2026

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को अवैध असलाह-कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल पैंशन प्रो नं0 UP 78 ED 4823 बरामद किया।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 31.12.2025 थाना भोगनीपुर की टीम द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी की एक व्यक्ति अवैध तमंचा लेकर मांचा मोड से अमरौधा की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है, उक्त सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये अभियुक्त अकील पुत्र हनीफ निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 46 वर्ष को मांचा मोड से अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

1. अकील पुत्र हनीफ निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 46 वर्ष

पूँछताछ का विवरण अभियुक्त अकील- अभियुक्त अकील उपरोक्त ने पूँछने पर बताया कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा व कारतूस अपने पास रखता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और गलती की माफी माँगने लगा।

बरामदगी का विवरण –

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- मोटरसाइकिल पैंशन प्रो नं0 UP 78 ED 4823.

अभियुक्त अकील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 427/2015 धारा 13 जी एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 205/2016 धारा 13 जी एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 379/2017 धारा 13 जी एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 03/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना भोगनीपुर पुलिस टीम